

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० संख्या-2/शि०स्था०-60- /2015- पटना, दिनांक-

आदेश

श्री वीरेन्द्र कुमार विनय, स्नातक शिक्षक (भूगोल), राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय, पुनपुन को विशेष परिस्थिति में राजकीय अनुसूचित जाति राज०अनु० जाति आवासीय उच्च विद्यालय, पिपलावां, पटना में अगले स्थान पर स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

2- श्री पंकज कुमार, स्नातक सहायक शिक्षक, राजकीय उच्च विद्यालय, दिग्धी, हाजीपुर को विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित करते हुए, राजकीय अनुसूचित जाति 10+2 उच्च विद्यालय, पुनपुन, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय, पुनपुन के वरीय स्नातक सहायक शिक्षक, श्री मधुसूदन सिंह को तत्काल प्रभाव से उक्त विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य करने हेतु आदेश दिया जाता है।

3- स्थानांतरित शिक्षकों को माह, सितम्बर 2015 का वेतन नवपदस्थापित स्थान से देय होगा।

4- स्थानांतरण के प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक-2/शि०स्था०-60- /2015-

2935

सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक.....24.8.15

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली/पटना/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/संबंधित स्नातक सहायक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि पत्र निर्गत के 24 घंटे के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों को नवपदस्थापित स्थान के लिए शीघ्र विरमित कर विभाग को सूचित करें। अन्यथा उक्त सभी शिक्षक स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

सरकार के विशेष सचिव।